बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 376461 पटना, दिनांक 26.06.2018

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(प्रखण्ड अ0)-102-33/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति में रूचि नहीं लेने/विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-372776 दिनांक-01.06.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इंदिरा आवास योजना के तहत लंबित कार्यों के निष्पादन एवं आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से प्रासंगिक पत्र के माध्यम से समय-सीमा निर्धारित करते हुए विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया था । इसके अलावे video conferencing के माध्यम से योजना की प्रगति में सुधार लाने हेतु निरंतर निदेश दिये गये हैं तथा विभाग स्तर से योजना का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसमें निम्न तथ्य सामने आ रहे हैं :-

(1) प्रासंगिक पत्र की कंडिका-1(i) में दिनांक 06.06.18 तक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था किन्तु अररिया, भागलपुर, कैमूर(भभुआ) एवं दरभंगा जिलों द्वारा यह अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है । साथ ही प्रसंगिक पत्र की कंडिका -4(iii) के आलोक में दिनांक 08.06.2018 के पूर्व जिला स्तर पर आयोजित बैठक की तिथि एवं दिनांक-17.06.2018 की अवधि में योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मॉग की गयी थी जो अबतक किसी भी जिला से प्राप्त नहीं है । यह विभागीय निदेशों की अवहेलना है ।

(2) प्रासंगिक पत्र की कंडिका-2(iv) एवं (v) में प्रखण्ड स्तर पर Verification हेतु लंबित FTO का दिनांक 10.06.18 तक निष्पादन करने का निदेश दिया गया था, किन्तु दिनांक 18.06.18 को विभाग स्तर पर समीक्षा के क्रम में अरवल, बक्सर, गोपालगंज, किशनगंज, मुंगेर एवं शेखपुरा जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में काफी संख्या में FTO लंबित पाये गये हैं ।

(3) विभागीय पत्रांक-372776 दिनांक-01.06.18 की कंडिका-4 में आवास सॉफ्ट पर निबंधन एवं स्वीकृति हेतु लंबित सभी आवासों को लक्ष्य के अनुरूप दिनांक 20.06.18 तक स्वीकृति प्रदान कर दिया जाना है, किन्तु आवास सॉफ्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान वास्तविक लक्ष्य 7,34,749 के विरूद्ध जिलों में कुल 87,258 लाभुकों की स्वीकृति लंबित है जबकि स्वीकृति के पश्चात 59,767 लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि अंतरित नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त द्वितीय व तृतीय किश्त की विमुक्ति तथा आवास पूर्णता हेतु किया गया प्रयास भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। जिलावार स्वीकृति हेतु लंबित आवासों की संख्या, प्रथम किश्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किश्त भुगतान हेतु प्रखण्ड स्तर पर लंबित FTO का विवरण निम्नवत है :-

Pradhanmantri Awaas Yojana

High Level Physical Progress Report(Cumulative) 2016-17 & 2017-18 dt. 18.06.18

#	District	Actual Cumulative target	Beneficiaries Registered	Sanctions Out Of GEO Tagged	Pending Sanctions	Sanctions with Verified Accounts	1st Instalment Paid	No of beneficiaries in FTO generated for 1st inst	No of beneficiaries in fto verified for 1st inst	Pending	Difference bet sanction with verified a/c & 1st instl	%1st Instalment w.r.t. accrual Target	2nd Instalment Paid	No of beneficiaries in FTO generated for 2nd inst	No of beneficiaries in fto verified for 2nd inst	Pending	3rd Instalment Paid	No of beneficiaries in FTO generated for 3rd inst	No of beneficiaries in fto verified for 3rd inst	Pending	Completed and Inspected
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	MUZAFFARPUR	28275	25749	18666	9609	18243	16765	16931	16903	30	1478	59.29	7295	7698	7381	317	1276	1410	1310	100	623
2	ARARIA	38133	36603	30384	7749	28777	23191	24681	24177	504	5586	60.82	6689	7405	7178	227	490	554	515	39	264
3	SITAMARHI	33342	29323	23322	10020	22770	20987	21514	21324	190	1783	62.94	7550	8084	7935	149	1013	1162	1130	32	344
4	JAMUI	19626	17944	15981	3645	15239	13578	13835	13667	168	1661	69.18	7483	7800	7698	102	2728	2888	2838	50	2490
5	NAWADA	21547	18122	16776	4771	16561	15443	15786	15690	96	1118	71.67	8173	9054	8994	60	2598	3271	3176	95	2051
6	GAYA	49745	41503	39630	10115	38907	35999	36880	36486	394	2908	72.37	14780	16008	15396	612	2766	3355	3014	341	1817
7	SUPAUL	16974	17297	15019	1955	14645	12485	13409	13382	27	2160	73.55	5561	5859	5767	92	343	385	373	12	41
8	BHAGALPUR	15559	15300	13944	1615	13572	11649	11976	11824	152	1923	74.87	4243	4566	4414	152	1016	1121	1087	34	707
9	PATNA	28227	26449	23301	4926	22854	21187	21622	21473	149	1667	75.06	18237	11404	11057	347	1327	1666	1541	125	226
10	VAISHALI	24051	23923	21297	2754	20813	18476	19055	18897	158	2337	76.82	3754	4342	4222	120	479	583	573	18	461
11	DARBHANGA	41933	39960	37615	4318	36175	32954	34020	33882	138	3221	78.59	8864	9842	9658	184	1193	1472	1460	12	883
12	KHAGARIA	13480	13214	12232	1248	11989	10624	10680	10616	64	1365	78.81	3874	4176	4061	115	807	926	880	46	222
13	PURBI CHAMPARAN	31556	32999	28743	2813	28190	24981	26365	25699	666	3209	79.16	4297	4949	4557	392	341	416	372	44	143
14	PASHCHIM CHAMPARAN	40171	40241	34595	5576	33993	32145	32832	32677	155	1848	80.02	17788	18866	18590	276	2999	3460	3380	80	2200
15	MADHEPURA	16327	17861	14964	1363	14645	13719	13861	13799	62	926	84.03	4279	4486	4361	125	338	369	348	21	215
16	JEHANABAD	4426	4494	4017	409	3956	3720	3814	3755	59	236	84.85	1788	2014	1864	150	409	489	438	51	230
17	MADHUBANI	33549	32648	30460	3089	29955	28559	28905	28697	208	1396	85.13	9600	10607	10123	484	695	845	767	78	511
18	BEGUSARAI	18247	18876	16497	1750	16240	15594	15917	15900	17	646	85.46	8341	8761	8630	131	2980	3273	3150	123	2451
19	PURNIA	24913	25206	23232	1681	22746	21509	21780	21643	137	1237	86.34	10159	10433	10398	35	2501	2735	2727	8	666
20	BANKA	23006	23337	21268	3738	20962	19949	20182	20073	109	1013	86.71	11209	11597	11468	129	4144	4404	4323	81	3808
21	SAHARSA	17614	18057	16799	815	16328	15715	15866	15806	60	613	89.22	4813	5275	4938	337	344	437	360	77	80
22	NALANDA	14716	14269	13688	1028	13593	13184	13301	13215	86	409	89.59	9055	9403	9237	166	3480	3800	3615	185	1812
23	KAIMUR (BHABUA)	11403	11444	18739	664	10598	10229	10222	10217	5	369	89.70	6294	6610	6450	160	1552	1688	1617	71	347
24	SAMASTIPUR	38048	38440	37068	980	35851	34898	35163	35043	120	953	91.72	16586	17407	17161	246	5945	6449	6259	190	4055
25	AURANAGABAD	17145	17512	16662	483	16545	16160	16336	16218	118	385	94.25	8627	9163	8779	384	1942	2149	2028	121	893
26	BHOJPUR	15752	16528	16041	-289	15846	15684	15730	15721	9	162	99.57	9402	9911	9627	284	1712	1993	1854	139	401

उपर्युक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि -

(I) जिला में लक्ष्य के अनुरूप जिन कोटियों में पर्याप्त संख्या में लाभार्थी मौजूद थे, उनमें भी वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लाभुकों का निबंधन नहीं किया गया ।

(II) जिन कोटियों में लाभुकों का निबंधन किया गया, उन कोटियों में भी शत-प्रतिशत स्वीकृति नहीं दी गयी ।

(III) स्वीकृति के पश्चात भी शत-प्रतिशत लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान नहीं किया गया, जबकि स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की विमुक्ति अनिवार्य है ।

(IV) स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त भुगतान हेतु FTO प्रखण्ड स्तर पर लंबित हैं, जबकि इन्हें लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

(V) विभाग स्तर पर आवास सॉफ्ट के माध्यम से योजना के अनुश्रवण के क्रम में Random ऑकडे एकत्रित कर विभागीय पत्रांक-369422 दिनांक-16.05.18 एवं पत्रांक-371026 दिनांक-23.05.18 से जिलों को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था तथा इसमें यह अपेक्षित था कि जिलों द्वारा न सिर्फ ऐसे चिन्हित मामलो में त्वरित कारवाई की जाएगी अपितु जिला स्तर से भी इसी प्रकार MIS की समीक्षा करते हुए प्रखंडों के कार्यों के अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा । परन्तु यह खेदजनक है कि जिला स्तर से ऐसे चिन्हित लाभुकों की स्थिति का भी समाधान नहीं किया जा सका ।

(VI) विभागीय पत्रांक-369417 दिनांक-16.05.2018 की कंडिका-6 में जिला स्तर से सप्ताहिक रूप से समीक्षा कर योजना की प्रगति में सबसे पिछडे दो प्रखंडों को चिन्हित करते हुए सबसे पिछड़े एक प्रखण्ड का उप विकास आयुक्त एवं दूसरे सबसे पिछड़े प्रखण्ड का निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन द्वारा निरीक्षण करते हुए विभाग को निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । विभाग स्तर पर संधारित प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार जिलों में सप्ताहिक रूप से निरीक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है । इसकी जिला स्तर पर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है ।

आप सहमत होगें की उपर्युक्त कंडिका (I) से (VI) में वर्णित लापरवाही का कोई सर्वमान्य कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होगा, जैसे वित्तीय वर्ष 2016-17 की भी शत-प्रतिशत स्वीकृति अभीतक नहीं किया जाना, स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त लंबित रखना तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर काफी संख्या में अकारण FTO लंबित रखना तथा विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से लाभुकों को चिन्हित करने के पश्चात एक माह में चिन्हित लाभुकों की समस्या का भी समाधान नहीं किया जाना । यह गंभीर चूक प्रतीत होती है तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण संबंधित पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण आवश्यक है ।

अत: उपर्युक्त के आलोक में कृपया निम्न बिन्दुओं पर एक स्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2018 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय :-

(1) योजना के कार्यान्वयन में प्रगति लाने हेतु उप विकास आयुक्त एवं निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन द्वारा असंतोषजनक प्रगति वाले प्रखण्डों एवं पंचायतों को विधिवत चिन्हित करते हुए विभागीय निदेश के आलोक में स्वयं प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण किया गया अथवा नहीं ?

(2) यदि निरीक्षण किया गया तो अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियों को चिन्हित किये गये बिन्दुओं पर स्पष्ट निदेश दिये गये अथवा नहीं ?

(3) यदि जिला स्तरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण एवं उनके स्पष्ट निदेशों के बावजूद प्रखण्डों/पंचायतों की प्रगति असंतोषजनक रही तो ऐसी लापरवाही के कारणों की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन द्वारा सभी दोषी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ग्रामीण आवास सहायक/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गयी अथवा नहीं ?

विदित हो कि उपर्युक्त कंडिका (I) से (VI) में वर्णित ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान तत्काल अपेक्षित व अनिवार्य भी था । राज्य स्तरीय बैठकों के साथ ही साप्ताहिक विडियो कान्फ्रेंसिंग में भी इस संबंध में निरंतर निदेशित किया जाता रहा । इसके बावजूद लंबी अवधि तक इन बिन्दुओं का शत् प्रतिशत समाधान नहीं किया जाना गंभीर विषय है । अत: प्रखण्ड व पंचायत स्तर के अतिरिक्त जिला स्तर पर किये गये प्रयासों की समीक्षा भी आवश्यक है । अतएव अपने स्तर से इसकी त्वरित समीक्षा करें । इस समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन द्वारा MIS आँकडों की समीक्षा, क्षेत्र भ्रमण व तदनुसार निरीक्षण, निर्गत निदेश, दोषियों का चिन्हिकरण, सतत् अनुश्रवण इत्यादि बिन्दुओं पर विशेष रूप से विचार करें ।

यदि आप उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन द्वारा किये गये प्रयासों से संतुष्ट हैं तो संतुष्टि का कारण अंकित करते हुए असंतोषजनक प्रगति पर समीक्षोपरान्त अपना मंतव्य उपलब्ध कराएँ ताकि भविष्य में अपेक्षित सुधारात्मक प्रयास पर विचार किया जा सके। अन्यथा उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए प्रतिवेदित करें । इसके अतिरिक्त लापरवाही एवं विभागीय निदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारीयों/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों/ग्रामीण आवास सहायकों को चिन्हित करते हुए अपने स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करतें हुए विभाग को प्रतिवेदित करें ।

विश्वासभाजन

25/6/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 376461 पटना, दिनांक 26.06.2018

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/6/2018

सरकार के सचिव